न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः 153/2022(जी.सी.एम.एस. 2022/227)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. चीरो उर्फ सुखवन्ती पत्नी सरदूल सिंह पुत्री गुरदित सिंह जाति बावरी निवासी चक 43 जीजी खरलां तहसील श्रीकरणपुर।		1. संता सिंह पुत्र गुरदित सिंह जाति बावरी निवासी 3 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 19.07.2022

उपस्थितः1. श्री सुखविन्द्र सिंह सरां अधिवक्ता वादी

––निर्णय–– दिनांकः 07.06.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 3 एफ एफ, पटवार हल्का 43 जीजी, भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 58/58 के मुरब्बा नम्बर 22, 58/28 की कुल 6.199 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि मे वादिया के नाम 3.099 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने काश्त की सुविधा अनुसार घरू बंटवारा कर रखा है। घरू बंटवारा अनुसार वादिया को चक 3 एफ एफ के मुरब्बा नम्बर 1 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 2 सालम, किला नम्बर 3 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 8 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 9 सालम, किला नम्बर 10, 11 प्रत्येक 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 12 सालम, किला नम्बर 13,18 प्रत्येक 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 19 सालम, किला नम्बर 20 के 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 21 के 0.202 हैक्टेयर, किला नम्बर 22 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 23 की 0.114 हैक्टेयर एंव मुरब्बा नम्बर 58/28 की 0.125 हैक्टेयर गैर मुमकिन खाल कुल 3.099 हैक्टेयर नहरी भूमि प्राप्त हुई। वादी का उक्त रकबा संयुक्त खाता में अंकित होने के कारण वादी को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी खाता विभाजन हेतु वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है। वादी ने आज से दो रोज पूर्व प्रतिवादी को उक्त आराजी का हिस्सानुसार किलावाईज विभाजन करने हेतु कहा तो प्रतिवादी ने साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 2082 दिनांक 21.05.2024 से रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुई। सामिल मिसल की गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। वादिया अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वादपत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।
3. बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान वादिया अधिवक्ता ने वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादिया के वादपत्र मय शपथपत्र, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादिया का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

वीरो उर्फ सुखवन्ती बनाम गुरुनाम सिंह आदि
वाद पत्र अंतर्गत धारा 53,88 आरटीए
प्रकरण संख्या 153/2022

-:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम चक 3 एफ एफ, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 58/58 के मुरब्बा नम्बर 22, 58/28 की कुल 6.199 हैक्टेयर भूमि में से वादिया के हिस्सा 3.099 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
वीरो पुत्री गुरदित सिंह जाति बावरी निवासी चक 43 जीजी खरलां तहसील श्रीकरणपुर। (3.099 हैक्टेयर)	3 एफ एफ	22	1	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71
			2	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71
			8 ता 13	1.518 हैक्टेयर	नहरी	11.40
			19	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.90
			20	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.90
			18	0.113 हैक्टेयर	नहरी	0.85
			21	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71
			22	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71
		58/28		0.050 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00

उक्त खाता के शेष अंकन एंव रहन बदस्तूर रहेगें। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबध्द किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 07.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर